यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

UJVN LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कार्यालय–महाप्रबन्धक (एम0डी0–ओ0), "उज्ज्वल", महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून–248006 (उत्तराखण्ड),दूरभाषः 0135–2763508, फैक्सः 0135–2761549
Office of the General Manager (MD-O), "Ujjwal", Maharani Bagh, G.M.S. Road, Dehradun-248006 (Uttarakhand), Phone: 0135-2763508, Fax: 0135-2761549
CIN No.U40101UR2001SGC025866

संख्याः– /यूजेवीएनएल/01/प्रनि/ म0प्र0(एमडी–ओ)/निर्वाचन दिनांक /8/ 2022

विषय– निर्वाचक नामावली में प्रत्येक निर्वाचक का स्वैच्छिक आधार पर (Not Mandatory) आधार प्रमाणीकरण किये जाने के संबंध में।

समस्त महाप्रबन्धक,
समस्त उपमहाप्रबन्धक,
यूजेवीएन लिमिटिड।

.....

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रांक 3672/XXV–97/2022 दिनांक 08–08–2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निर्वाचक नामावली में प्रत्येक निर्वाचक का स्वैच्छिक आधार पर (Not Mandatory) शासन के पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार आधार प्रमाणीकरण किये जाने की अपेक्षा की गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित पत्र की छायाप्रति संलग्न फार्म 6B सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने नियन्त्रणाधीन समस्त कार्मिको से निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के उक्त कार्य को एक अभियान के रूप में स्वैच्छा के आधार (Not Mandatory) पर परिवार के सभी अर्ह सदस्यों सहित, निर्वाचक नामावली विवरण में आधार प्रमाणीकरण/लिंक किए जाने के संबंध में अपने स्तर से भी अपील करने का कष्ट करें।

संलग्न यथोपरि।

(दिग्विजय सिह)
महाप्रबन्धक(एम0डी–ओ0)

प्रतिलिपिः–

1– प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव को सूचनार्थ।
2– निदेशक(परिचालन)/परियोजनाएं/वित्त यूजेवीएन लिमिटेड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3– अधिशासी निदेशक ई एण्ड एम/ओ एण्ड एम/सिविल/मानव संसाधन यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4– उपमहाप्रबन्धक (सू0 प्रौ0), उज्जवल यूजेवीएन लिमिटिड देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि निर्वाचन विभाग उत्तराखड शासन के उपरोक्त संलग्न पत्र को यूजेवीएन लिमिटिड के वैबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

सौजन्या
आई.ए.एस.
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
निर्वाचन विभाग
देहरादून–248001
फोन : (0135) 2713760 / 2713551
फैक्स : (0135) 2713724
e-mail:- ceo_uttaranchal@eci.gov.in

संख्या– 3672 / XXV – 97 / 2022
दिनांक : देहरादून, 08 अगस्त, 2022

प्रिय महोदय / महोदया,

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में अवगत कराना है कि, निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम–2021 में निहित प्राविधानों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1950 एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम–1960 के सुसंगत नियमों में संशोधन / परिवर्तन के फलस्वरूप निर्वाचक नामावली में प्रत्येक निर्वाचक का स्वैच्छिक आधार पर (Not Mandatory) आधार प्रमाणीकरण किया जाना है। ऐसे नागरिक जिनका नाम वर्तमान निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है वह ऑनलाईन माध्यम से भी आयोग की निम्न वेबसाईट / मोबाइल एप के माध्यम से अपना आधार लिंक / प्रमाणीकरण कर सकते हैं:–

1. https://www.nvsp.in
2. https://voterportal.eci.gov.in अथवा
3. मोबाइल फोन में Google Play Store से VOTER HELPLINE Download कर इस एप के माध्यम से भी निर्वाचक नामावली से अपना आधार प्रमाणीकरण कर सकते हैं।

2– यह भी अवगत कराना है कि, वर्तमान कोई भी निर्वाचक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित फार्म–6ख (6B) भरकर अपने क्षेत्रीय बीएलओ, तहसील / उप जिलाधिकारी कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर अपना आधार प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। फार्म–6ख की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है। उक्त फार्म–6ख विभागीय वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

3– निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम–2021 में निहित प्राविधानों के अनुसार अब प्रत्येक वर्ष निर्वाचक नामावली में नाम पंजीकृत किए जाने के लिए चार अर्हता तिथियाँ (01 जनवरी, 01अप्रैल, 01जुलाई एवं 01 अक्टूबर) नियत की गयी है। इस प्रकार 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 09 नवम्बर, 2022 से निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य प्रारम्भ हो रहा है। ऐसे अर्ह नागरिक जो दिनांक 01 जनवरी 2023, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर, 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हैं, ऐसे नागरिक निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए प्रारूप–6 पर दिनांक 09 नवम्बर, 2022 से 08 दिसम्बर, 2022 तक अपना आवेदन नियमानुसार प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रारूप–6 पर आवेदन प्रस्तुत करने की उपरोक्तानुसार ऑनलाईन सुविधा भी उपलब्ध है।

4– यह भी स्पष्ट करना है कि जो नागरिक 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुका है उनका नाम 05 जनवरी, 2023 को प्रकाशित होने वाली अंतिम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो जाएगा और जो नागरिक 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर, 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हैं उनका नाम इन अर्हक तिथियों के पश्चात ही नामावली में सम्मिलित किए जाएंगें / अर्थात ऐसे नागरिकों को केवल अग्रिम में आवेदन करने की सुविधा प्राप्त होगी।

अतः अनुरोध है कि, निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के उक्त कार्य के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ समस्त विभाग / कार्यालयों के अधिकारियों / कर्मचारियों तथा शिक्षकों आदि से एक अभियान के रूप में स्वेच्छा के आधार (Not Mandatory) पर परिवार के सभी अर्ह सदस्यों सहित, निर्वाचक नामावली विवरण में आधार प्रमाणीकरण / लिंक किए जाने के संबंध में अपने स्तर से भी अपील करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त ।

भवनिष्ठ

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम्)

प्रतिष्ठा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

''प्ररूप 6ख''
"Form - 6B"
(नियम 26ख देखिए)
[See Rule 26B]
भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचक नामावली अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या की सूचना का पत्र

Letter of Information of Aadhaar number for the purpose of electoral roll authentication

मैं / I..... (निर्वाचक का नाम) / (Name of Elector) am enrolled in electrc roll of .....(सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम)(Name of Assembly/Parliamentary Constituency) में नामांकित हूं और मेरा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र सं0 having EPIC Number | | | | | | | | | | | | | | | | है

मैं निर्वाचक नामावली में मेरी प्रविष्टि के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूं :–
I hereby submit the following information for the purpose of authentication of my entry in electoral roll :-
(समुचित बॉक्स पर सही का निशान लगाएँ) *(Please tick the appropriate box)*

(क) (i) ☐ आधार सं0 Aadhar No. | | | | | | | | | | | | | या / or

(ख) (ii) ☐ मैं आधार सं0 प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है
I am not able to furnish my Aadhaar Number because I don't have Aadhaar number.

इसलिए मैं निम्न में से एक दस्तावेज की प्रति संलग्न करता हूँ :–
Therefor, I hereby submit a copy of one of the following documents :-
(कृपया समुचित बॉक्स में से किसी एक पर सही का निशान लगाएं)(Please tick any one in the appropriate box

- ☐ मनरेगा जॉब कार्ड। MANREGA Job Card.
- ☐ बैंक / डाकघर द्वारा जारी की गई पासबुक। Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office.
- ☐ श्रम मंत्रालय की स्कीम के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड। Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour.
- ☐ चालन अनुज्ञप्ति। Driving License.
- ☐ पैन कार्ड। PAN Card.
- ☐ एनपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड। Smart Card Issued by RGI under NPR.
- ☐ भारतीय पासपोर्ट। Indian Passport.
- ☐ छायाचित्र के साथ पेंशन दस्तावेज। Pension Document with photograph.
- ☐ केन्द्रीय / राज्य सरकार / पीएसयू / पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी छायाचित्र के साथ सेवा पहचान कार्ड। Service Identity card with photograph issued to employees by Central/State Govt./PSUs/Public Limited Companies
- ☐ संसद सदस्यों / विधान सभा सदस्यों / विधान परिषद् सदस्यों को जारी शासकीय पहचान पत्र। Official Identity Card Issued to MPs/MLAs/MLCs.
- ☐ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट पहचान परिचय–पत्र (यूडीआईडी)। Unique Identity ID (UDID) Card, issued by M/o Social Justice and Empowerment. Government of India.

निर्वाचक के हस्ताक्षर / Sign.of the elector :.....

स्थान / Place :.....

निर्वाचक का नाम / Name of the elector :.....

तारीख / Date :.....

ई–मेल पता / मोबाइल नं0 / E-mail ID/Mobile No. :.....